न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 09/2017
दायर दिनांकः 22.03.2017
निर्णय दिनांक 19.05.2025

—: अनवान :—

1. श्री गिरधारीसिंह पिता मनोहरसिंह जी जाति राजपुत निवासी गोवल तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. श्री देवीसिंह पिता मनोहरसिंह जी जाति राजपुत निवासी गोवल तहसील आमेट जिला राजस्संद
3. श्री भारतसिंह पिता मनोहरसिंह जी जाति राजपुत निवासी गोवल तहसील आमेट जिला राजसमंद

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. समरत ग्रामवासी ग्राम गोवल, तहसील आमेट जिला राजसमंद जरिये प्रतिनिधि—

(1) श्री हरिसिंह पिता विजयसिंह जी जाति राजपुत निवासी गोवल तहसील आमेट जिला राजसमन्द

(2) श्री जोधा पिता गला जी जाति बलाई निवासी गोवल तहसील आमेट जिला राजसमन्द

(3) श्री मांगीलाल पिता नन्दराम जी जाति नंगारची निवासी गोवल तहसील आमेट जिता राजसमंद

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, आमेट जिला राजसमंद

— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 35 राजस्व ग्राम गोवल, तहसील आमेट तहसीलदार साहब आमेट द्वारा दिनांक 31.12.1987 को स्वीकृत।

उपस्थित :—

1— श्री दिग्विजय सिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट

2— श्री हेमन्त पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित।

3— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध नामान्तरण आदेश तहसीलदार, आमेट नामान्तरण संख्या 35 दिनांक 31.12.1987 से व्यथित होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण स्व. मनोहरसिंह पिता सरदारसिंह जी राजपुत के पुत्र होकर विधिक उत्तराधिकारी है। अपीलार्थीगण की माता का निधन हो चुका है। राजस्व ग्राम गोवल, तहसील आमेट में आराजी संख्या 148 रकबा 0. 0500 हैक्टर व आराजी संख्या 149 रकबा 1,2500 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजी संख्या 148 व 149 के पेमाईश पूर्व आराजी संख्या

321 मीन थे, उक्त साबिक आराजी संख्या 321 मीन स्वर्गीय मनोहर सिंह जी के खातेदारी की भूमियां थी, जो विरासत से अपीलार्थीगण को प्राप्त हुई है और वर्तमान में उक्त भूमियां अपीलार्थीगण के कब्जे आधिपत्य में है। स्वर्गीय मनोहरसिंह जी के खातेदारी में राजस्व ग्राम गोवल की आराजी संख्या 01 रकबा 364 बीघा भूमि भी थी। उक्त आराजी संख्या 01 में से स्वर्गीय मनोहरसिंह जी ने 200 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24/12/1965 को समस्त ग्रामवासी गोवल को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर समस्त ग्रामवासी गोवल के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया, परन्तु उक्त नामान्तकरण में वर्तमान आराजी संख्या 148 व 149 भी विक्रय किये जाने का उल्लेख करते हुए उक्त भूमि का भी समस्त ग्रामवासी गोवल के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया और उक्त नामान्तकरण के जरिये उक्त आराजी संख्या 148 व 149 भी समस्त ग्रामवासी ग्राम गोवल के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि आराजी संख्या 148 व 149 के सम्बन्ध में स्वर्गीय मनोहरसिंह जी द्वारा न तो कोई विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था और न ही उक्त आराजी संख्या 148 व 149 साबिक आराजी संख्या 01 से बने है। आराजी संख्या 148 व 149 के साबिक आराजी संख्या 321 मीन है और साबिक आराजी संख्या 321 मीन का कोई भाग स्वर्गीय मनोहर सिंह जी द्वारा समस्त ग्रामवासी गोवल को विकय नहीं किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से विक्रय पत्र दिनांक 24/12/1965 के आधार आराजी संख्या 148 व 149 का नामान्तकरण भर दिया गया और तहसीलदार सा. आमेट द्वारा भी नामान्तकरण गलत रूप से स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त आराजी संख्या 148 व 149 में समस्त ग्रामवासी गोवल का कोई हक अधिकार एवं कब्जा नहीं है। समस्त ग्रामवासी गोवल के पक्ष में उक्त नामान्तकरण अवैध रूप से स्वीकृत कर दिये जाने के कारण आराजी संख्या 148 व 149 गलत रूप से समस्त ग्रामवासी गोवल के नाम खातेदारी हक से अंकित कर दी गई है। अपीलार्थी संख्या 01 को अन्य कार्य से उक्त आराजी संख्या 148 व 149 कर जमाबन्दी की नकल की आवश्यकता होने से अपीलार्थी संख्या 01 उक्त भूमियों की जमाबन्दी की नकल लेने हेतु हल्का पटवारी के पास गया तो अपीलार्थी संख्या 01 को पटवारी द्वारा बताया गया कि उक्त भूमियां राजस्व रेकर्ड में समस्त ग्रामवासी गोवल के नाम दर्ज है। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर अपीलार्थी संख्या 01 ने समस्त दस्तावेजात की नकले निकलवाई तो ज्ञात हुआ कि उक्त वर्णित रूप से आराजी संख्या 148 व 149 का नामान्तकरण अवैध रूप से स्वीकृत कर भूमियां समस्त ग्रामवासी गोवल के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई है। अपीलार्थीगण को पूर्व में उक्त अवैध नामान्तकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिये अपीलार्थीगण की ओर से पूर्व में अपीलाधीन नामान्तकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अपील प्रस्तुत करने में जानबुझकर कोई विलम्ब या लापरवाही नहीं की गई है। आराजी संख्या 148 व 149 का नामान्तकरण अवैध रूप से स्वीकृत किये जाने की जानकारी होते ही युक्तियुक्त तत्परता से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। मियाद माफी हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त कर राजस्व ग्राम गोवल की आराजी संख्या 148 व 149 का नामान्तकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त पालीवाल ने वकालत पत्र प्रस्तुत कर उपस्थित हुए परन्तु इनके द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बहस हेतु नियत पेशी दिनांक को अनुपस्थित रहे। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रकरण में तहसीलदार आमेट से मौके व राजस्व रिकॉर्ड के वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

मूल अपील पर अधिवक्ता अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण स्व. मनोहरसिंह पिता सरदारसिंह जी राजपुत के पुत्र होकर विधिक उत्तराधिकारी है। अपीलार्थीगण की माता का निधन हो चुका है। राजस्व ग्राम गोवल, तहसील आमेट में आराजी संख्या 148 रकबा 0. 0500 हैक्टर व आराजी संख्या 149 रकबा 1,2500 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजी संख्या 148 व 149 के पेमाईश पूर्व आराजी संख्या 321 मीन थे, उक्त साबिक आराजी संख्या 321 मीन स्वर्गीय मनोहर सिंह जी के खातेदारी की भूमियां थी, जो विरासत से अपीलार्थीगण को प्राप्त हुई है और वर्तमान में उक्त भूमियां अपीलार्थीगण के कब्जे आधिपत्य में है। स्वर्गीय मनोहरसिंह जी के खातेदारी में राजस्व ग्राम गोवल की आराजी संख्या 01 रकबा 364 बीघा भूमि भी थी। उक्त आराजी संख्या 01 में से स्वर्गीय मनोहरसिंह जी ने 200 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24/12/1965 को समस्त ग्रामवासी गोवल को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर समस्त ग्रामवासी गोवल के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया, परन्तु उक्त नामान्तकरण में वर्तमान आराजी संख्या 148 व 149 भी विक्रय किये जाने का उल्लेख करते हुए उक्त भूमि का भी समस्त ग्रामवासी गोवल के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया और उक्त नामान्तकरण के जरिये उक्त आराजी संख्या 148 व 149 भी समस्त ग्रामवासी ग्राम गोवल के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि आराजी संख्या 148 व 149 के सम्बन्ध में स्वर्गीय मनोहरसिंह जी द्वारा न तो कोई विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था और न ही उक्त आराजी संख्या 148 व 149 साबिक आराजी संख्या 01 से बने है। आराजी संख्या 148 व 149 के साबिक आराजी संख्या 321 मीन है और साबिक आराजी संख्या 321 मीन का कोई भाग स्वर्गीय मनोहर सिंह जी द्वारा समस्त ग्रामवासी गोवल को विकय नहीं किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से विक्रय पत्र दिनांक 24/12/1965 के आधार आराजी संख्या 148 व 149 का नामान्तकरण भर दिया गया और तहसीलदार सा. आमेट द्वारा भी नामान्तकरण गलत रूप से स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त आराजी संख्या 148 व 149 में समस्त ग्रामवासी गोवल का कोई हक अधिकार एवं कब्जा नहीं है। समस्त ग्रामवासी गोवल के पक्ष में उक्त नामान्तकरण अवैध रूप से स्वीकृत कर दिये जाने के कारण आराजी संख्या 148 व 149 गलत रूप से समस्त ग्रामवासी गोवल के नाम खातेदारी हक से अंकित कर दी गई है। अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त कर राजस्व ग्राम गोवल की आराजी संख्या 148 व 149 का नामान्तकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि प्रकरण में तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा दिनांक 08.08.2019 को प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 24.12.1965 के अवलोकन पर पाया कि अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी श्री मनोहरसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत निवासी गोवल द्वारा राजस्व ग्राम गोवल में स्थित साबिक आराजी नं. 1 में से 200 बीघा भूमि समस्त ग्रामवासी गोवल को विक्रय की गयी है। उक्त पंजीबद्ध विक्रय

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पत्र की पालना में पटवारी हल्का गोवल द्वारा ग्राम गोवल का नामान्तरण संख्या 35 दर्ज किया गया। जिसमें नवीन आराजी नं. 1,148,149 व 150 कुल रकबा 43.1800 हैक्टेयर भूमि विक्रेता श्री मनोहरसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत के बजाय क्रेता समस्त ग्रामवासी गोवल के नाम दर्ज कर वास्ते निर्णय तहसीलदार आमेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार आमेट द्वारा पटवारी हल्का गोवल द्वारा दर्ज नामान्तरण अनुसार ही उक्त नामान्तरण दिनांक 31.12.1987 को स्वीकृत करते हुए निर्णित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार आमेट से प्राप्त मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि "राजस्व ग्राम गोवल के पुराने खसरा नम्बर 01 से बने नया खसरा नम्बरों की भूमि ही ग्रामवासियों के नाम नामन्तरण संख्या 35 में दर्ज होनी चाहिए थी। परन्तु नामान्तरण संख्या 35 में दर्ज खसरा नम्बर 148 व 149 जो कि न तों पुराने खसरा नम्बर 01 से बने हैं। और न ही इनका रजिस्र्ट बेचान हुआ हैं। यानि खसरा नम्बर 148 व 149 नामान्तरण संख्या 35 के जरिये गलत रूप से ग्रामवासी गोवल के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो गये हैं। मौके पर दोनों खसरों पर देवी सिंह पिता मनोहर सिंह राजपुत का कब्जा है। अतः ग्रामवासीयों के खाते में दर्ज खसरा नम्बर 148 रकबा 0.0500 व खसरा नम्बर 149 रकबा 1.2500 दोनों का कुल रकबा 1.3000 देवी सिंह पिता मनोहर सिंह के खाते में दर्ज होना चाहिए। पुराने खसरा नम्बर 1 से बने नये खसरा नम्बर 150 रकबा 0.1800 हैक्टेयर जो नामान्तरण संख्या 35 के जरिये ग्रामवासी गोवल के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हैं। परन्तु मौके पर ग्रामवासियों का कब्जा नहीं है। ग्रामवासियों के लिए उक्त भूमि पर जाने का रिकोर्ड व मौके पर कोई रास्ता नहीं हैं। उक्त भूमि अपीलार्थीयों के खातेदारी भूमि की पत्थरों की चार दीवारी के बीच स्थित हैं। उक्त भूमि पर अपीलार्थी श्री देवी सिंह पिता मनोहर सिंह राजपुत का कब्जा है। अतः पुराने खसरा नम्बर 1 से बने अपीलार्थी के कब्जे के खसरों की भूमि में से ग्रामवासियों को बदले में भूमि देना प्रस्तावित है। ताकि ग्रामवासियों द्वारा खरीदी 200 बीधा भूमि का 1 चक बन सके। अपीलार्थी श्री गिरधारी सिंह, देवी सिंह व भारत सिंह स्व. श्री मनोहर सिंह पिता सरदार सिंह के जाइन्दा पुत्र एवं वारिस हैं खसरा नम्बर 148, 149 व 150 के बदले उनके पिता द्वारा ग्रामीणों को बेची गई 200 बीघा भूमि के एक चक हेतु अपनी खातेदारी भूमि में से ग्रामीणों को देने का शपथ पत्र पेश किये जिसके अनुसार वर्तमान में दर्ज ग्रामवासियों के नाम दर्ज खसरा नम्बरों में से 148 रकबा 0.0500, खसरा नम्बर 149 रकबा 1.2500 दोनों का कुल रकबा 1.3000 मौके पर कब्जे अनुसार देवी सिंह पिता मनोहर सिंह के खाते में जोड़ना प्रस्तावित हैं। तथा खसरा नम्बर 150 रकबा 0.1800 शपथ पत्र अनुसार भारत सिंह पिता मनोहर सिंह के खाते में जोड़ना प्रस्तावित हैं। पुराने खसरा नम्बर 1 से बने खसरों की भूमि जो कि अपीलार्थीयों के कब्जे में खसरा नम्बर 25 रकबा 0.4400, ख०नं० 69 रकबा 0.0400, ख0नं0 70 रकबा 0.3100 अपीलार्थी देवी सिंह पिता मनोहर सिंह के खाते से कम कर ग्रामवासियों के खाते में शपथ पत्र अनुसार जोड़ना प्रस्तावित है। अपीलार्थी भारत सिंह पिता मनोहर सिंह के खाते में दर्ज ख0नं0 151 कुल रकबा 9.5100 में से 0.7216 हैक्टेयर भूमि चट्टान में से कम कर ग्रामवासियों के खाते में जोड़ना प्रस्तावित है। अतः ग्राम गोवल के नामान्तरण संखा 35 को निरस्त फरमाते हुए ग्रामवासी गोवल एवं अपीलार्थीयों के बीच भूमि के आदान–प्रदान के प्रस्ताव वास्ते समुचित आदेशार्थ सेवा में प्रेषित हैं।"

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि तहसीलदार आमेट प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम गोवल के पुराने खसरा नम्बर 01 से बने नया खसरा नम्बरों की भूमि ही ग्रामवासियों के नाम नामन्तरण संख्या 35 में दर्ज होनी चाहिए थी। परन्तु नामान्तरण संख्या 35 में दर्ज खसरा नम्बर 148 व 149 जो कि न तों पुराने खसरा नम्बर 01 से बने हैं। और न ही इनका रजिस्र्ट बेचान हुआ हैं। यानि खसरा नम्बर 148 व 149 नामानतण संख्या 35 के जरिये गलत रूप से ग्रामवासी गोवल के नाम राजस्व रिकोर्ड में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

दर्ज हो गये हैं। मौके पर दोनों खसरों पर देवी सिंह पिता मनोहर सिंह राजपुत का कब्जा है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण स्वीकृत करने में विधिक त्रुटि की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 31.12.1987 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार आमेट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 24.12.1965 के अनुसरण में मौका स्थिति व कब्जे को देखकर पक्षकारान को सुनकर व उनकी सहमति अनुसार नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण कार्यवाही करें।

19/5/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 19.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/5/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)